

**भाग -III**  
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 14. | क-स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है  | एन0एच0-93 किमी 126.000 से 133.860 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलन्दशहर के अन्तर्गत 3.5760 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 52 वृक्षों के पातन तथा 09 पौधों की क्षति की अनुमति के सम्बन्ध में भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव। |
|     | ख-क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो निरीक्षक नोट के रूप में संलग्न करें। | नहीं  |
| 15. | क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।                         | सहमत हैं  |
| 16. | प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।      | प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।   |

तिथि :- 09.12.2015

हस्ताक्षर

स्थान :-मेरठ

नाम और पदनाम -  
सरकारी मोहर-

(प्रस्तावक0 अवस्थी)  
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी मेपठ क्षेत्र मेरठ।